जनपद न्यायालय, रायबरेली
पुनः नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य हित में जनपद न्यायालय, रायबरेली में न्यायालय परिसर के चारो ओर की पुरानी बाउण्ड्री वाल के ध्वस्तीकरण तथा उसके प्राप्त मलवे जैसे ईटों, सरिया आदि उठाने एवं ढुलाई की पुनः सार्वजनिक नीलामी दिनॉक 09.06.2017 को अपरान्ह 02.30 बजे जनपद न्यायालय, रायबरेली में स्थित सभागार में सम्पन्न करायी जायेगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी रू0 25,000/- अग्रिम जमानत धनराशि जमा कर नीलामी में भाग ले सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत कार्यालय से सम्पर्क कर बाउण्ड्री वाल का निरीक्षण, नीलामी की शर्ते एवं आवेदन पत्र रू0 100/- का प्राप्त कर दिनॉक 09.06.2017 को समय 11.00 बजे पूर्वान्ह तक जमा कर सकते है।

31/5/17

अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 1, रायबरेली।
31.05.2017

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली।
पुनः सार्वजनिक नीलामी सूचना की शर्ते (2017–18) निम्नवत है–

1. पुनः नीलामी हेतु आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र जो नजारत अनुभाग में (मूल्य) 100/– रूपये जो अप्रत्यार्पणीय (non-refundable) है, में दिनॉक 09.06.2017 तक उपलब्ध है, जिसे उसी दिन 11.00 बजे पूर्वान्ह तक नजारत विभाग में जमा किया जाना आवश्यक है। पुनः नीलामी दिनॉक 09.06.2017 को अपरान्ह 02.30 बजे जनपद न्यायालय, रायबरेली में स्थित सभागार में करायी जायेगी।

2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म क़ा होना आवश्यक है। नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को जमानत राशि के साथ Vat/Tin No. रजिस्ट्रेशन की प्रति नजारत में जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा। केवल टोकन धारक ही नीलामी में भाग ले सकेगे।

3. जमानत धनराशि नीलामी में बोली लगाने से पूर्व नीलामी की तिथि पर प्रातः 11 बजे तक नजारत कार्यालय, जजी, रायबरेली में जमा करना होगा। जमानत धनराशि की राशि रू0 25,000/– होगी, जो बैक ड्राफ्ट के रूप में "जनपद न्यायाधीश, रायबरेली" के पद नाम से जमा कराना होगा।

4. जमानत धनराशि नीलामी समाप्त होने पर समायोजित/वापस कर दी जायेगी।

5. बाउण्ड्री वाल का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है, बाउण्ड्री वाल का विवरण निम्न प्रकार हैः–

"जनपद न्यायालय, रायबरेली में न्यायालय परिसर के चारो ओर की पुरानी बाउण्ड्री वाल।"

6. बाउण्ड्री वाल को तोड़कर समस्त मलबा जैसे–ईटे, सरिया आदि नीलामीकर्ता अपने व्यय पर रिक्त करेगा तथा बाउण्ड्री वाल का ध्वस्तीकरण, निर्माण के अनुपात में अथवा निर्माणदायी संस्था द्वारा नियत स्थान एवं निर्देशानुसार करेगा।

7. उच्चतम बोली दाता द्वारा कर अतिरिक्त देय होगा।

8. उच्चतम बोली दाता को नीलामी की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात उसी दिन जमा करनी होगी, अन्यथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9. नीलामी नीलामी कमेटी के समक्ष बोली जायेगी।

10. नीलामी उपरोन्त उच्चतम बोली दाता को समक्ष अधिकारी (जनपद न्यायाधीश) से स्वीकृति के प्राप्त होने के उपरान्त सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि के साथ अन्य कर जमा करने के उपरान्त ही बाउण्ड्री वाल को तोड़ने एवं मलबा उठाने की अनुमति दी जायेगी।

11 उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी नजारत अनुभाग/अध्यक्ष, नीलामी समिति से किसी भी कार्य दिवस में 8 से 3 बजे प्राप्त की जा सकती है।

12 उपरोक्त बाउण्ड्री वाल को तोड़कर समस्त मलबा ले जाने हेतु न्यूनतम अनुमानित बोली रू0 2,54,650/– होगी।

13 शर्तो एवं नीलामी प्रक्रिया में परिवर्तन या रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश का होगा।

14. न्यायालय परिसर के चारो ओर की पुरानी बाउण्ड्री वाल के ध्वस्तीकरण तथा उसके प्राप्त मलवे की पूर्व सार्वजनिक नीलामी दिनॉक 30.05.2017 हेतु एक मात्र प्रतिभागी मे0 न्यू ओम कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, रायबरेली द्वारा श्री संतोष कुमार सिंह, पूरे बिन्दा सिंह, रसेहता, रायबरेली ने रू0 25,000/– का बैंक ड्राफ्ट, पैन नं0, रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति एवं निर्वाचन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिन्होने नीलामी के समस्त नियमों का पालन किया है। उनके प्रार्थना पत्र को पुनः नीलामी में शामिल किया जायेगा।

15 जनपद न्यायाधीश का अंतिम निर्णय सभी को मान्य होगा।

31/5/17

अध्यक्ष,
नीलामी समिति/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 1, रायबरेली।
31.05.2017